Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding transfer of immovable property of immigrants -laid.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): यह सर्वविदित है कि वर्ष 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो हिन्दू एंव मुस्लिम आबादी के हिसाब से दो अलग-अलग देश बने तथा दोनों देशों में आबादी के हिसाब से ही भूमि विभाजन हुआ । लेकिन, विभाजन के दौरान और उसके बाद एक बड़ी संख्या में गैर मुस्लिमों का पाकिस्तान से भारत में पलायन हुआ है, मगर उनके हिस्से की भूमि आज भी पाकिस्तान के कब्जे में ही है । वर्तमान समय की बात करें तो पाकिस्तान में हिन्दू, सिक्ख, पारसी, जैन, ईसाई की आबादी घट रही है और मुस्लिम समुदाय की आबादी निरंतर तेजी से बढ़ रही है । इसका एक प्रमुख कारण पाकिस्तान में गैर मुस्लिम लोगों के साथ जघन्य अपराध, अत्याचार एवं उत्पीड़न है, जिस कारण वे पाकिस्तान छोड़कर भारत की ओर पलायन कर रहे हैं और यह सिलसिला आजादी के बाद से लेकर आज तक जारी है । जबकि, वर्ष 1950 में दिल्ली में 'नेहरू लियाकत' समझौता हुआ था, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि दोनों देश अपने-अपने देशों में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यह समझौता धरा का धरा रह गया । पाकिस्तान से आकर देश में रहने वाले हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई की संख्या का कोई आपराधिक अनुमान नहीं है, लेकिन इन समुदायाओं के लोग पाकिस्तान के जघन्य अत्याचारों से परेशान होकर वर्षों से छोटे समूह में दिल्ली या देश के अन्य राज्यों शरण लिए हुए हैं । आज देश में मुस्लिमों की आबादी 15 प्रतिशत से अधिक है जबकि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की संख्या 2 प्रतिशत से भी कम है । देशवासियों को हार्दिक प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पाकिस्तान सहित बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से देश में आए इन पीड़ित लोगों को संरक्षण देते हुए नागरिकता दिए जाने हेतु अधिनियम पारित किया है जो स्वागतयोग्य है । इस संदर्भ में मेरा अनुरोध है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक विशेषकर पाकिस्तान से जो गैर मुस्लिम, जिनमें हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध जैन, पारसी, ईसाई, शामिल है, देश में आकर बसे हैं, उनकी संख्या

का आकलन कराकर उनके हिस्से की भूमि को पाकिस्तान से वापस लिए जाने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं ।